

कार्यालय : अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, महिला मंडल कारा एवं मुक्त कारागार, बक्सर

वार्षिक निविदा सूचना (वित्तीय वर्ष 2018-19) :-

केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर सहित तीनों काराओं में साथ-साथ अनिवार्य रूप से दिनांक-01.04.2018 से 31.12.2019 तक के लिए प्रमुख खाद्यान्नों, हरी सब्जी, आलू तथा विविध सामग्री आदि के क्रय एवं रद्दी सामग्री की बिक्री हेतु मुहर बंद निविदा दिनांक-27.02.2018 के अपहराह्न 5:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है जिसे दिनांक-28.02.2018 के अपहराह्न 3:00 बजे जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला कारा क्रय समिति, बक्सर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा। मुहरबंद निविदाएँ बिना whitener के प्रयोग/कर्टिंग/ओभरराइटिंग के सुस्पष्ट होनी चाहिए तथा यह निविदा में अंकित सामग्रियों के क्रम के अनुसार एवं प्रचलित इकाई (अर्थात् प्रति किलो, प्रति लीटर या प्रति नग) में ही दर्ज होनी चाहिए। प्रकाशित निविदा के क्रम को आगे पीछे देने पर संबंधित प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता है। इच्छुक निविदादाता द्वारा सीलबंद निविदा ससमय केन्द्रीय कारा, बक्सर कार्यालय में जमा करानी होगी जिसकी प्राप्ति रसीद सभी निविदादाता प्राप्त करेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। विवाद की स्थिति में निविदादाता कारा द्वारा निर्गत प्राप्ति रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त न्यूनतम दर के निविदादाता (L1) से निगोशियेशन के माध्यम से कम कराने की प्रक्रिया की जा सकती है। निविदा खोले जाने के समय खाद्यान्नों का एक-एक किलो नमूना अपने खर्च पर लाना होगा।

निविदा हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :-

1. निविदा दो भागों में यथा (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा दो अलग-अलग सील बंद लिफाफे में देना होगा। लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा" या "वित्तीय निविदा" बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा।
2. निविदा के तकनीकी भाग में जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र, GST निबंधन प्रमाण-पत्र, आयकर रिटर्न तथा पैन कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।
3. सभी निविदादाता विगत तीन वर्षों (2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) के आयकर रिटर्न (ITR) की स्वहस्ताक्षरित (छायाप्रति संलग्न) करनी होगी।
4. खण्ड "क" हेतु इच्छुक निविदादाताओं को विगत तीन वित्तीय वर्षों (2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) का आयकर अधिनियम 1961 की धारा-44 AB(A) अथवा एक करोड़ से अधिक के टर्न ओभर का C.A. द्वारा अंकेक्षित प्रतिवेदन संलग्न करना होगा। आयकर विभाग के Website-<http://www.incometaxindiaefiling.gov.in> से इसे download कर इसकी स्वहस्ताक्षरित प्रति निविदा के साथ उन्हें संलग्न करनी होगी। संदेह की स्थिति में Income Tax के वेबसाइट से इसकी जाँच की जाएगी गलत पाए जाने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी।
5. सभी निविदादाताओं (खण्ड "ग" को छोड़कर) विगत तीन वित्तीय वर्षों (2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) का वाणिज्य कर अदायगी का प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
6. सभी निविदादाताओं किसी भी संस्था द्वारा कालीकृत (Black listed) न हो और न ही कालीकृत किये जाने संबंधित कोई प्रक्रिया लम्बित है तथा कोई भी सिविल अथवा क्रिमिनल मुकदमा लम्बित नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र मूलरूप में तकनीकी निविदा के साथ देना होगा।

7. खण्ड "क" के लिए सभी निविदादाताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत/लाईसेंसी होना अनिवार्य है। इससे संबंधित कागजात की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
8. इच्छुक सभी निविदादाताओं को किसी सरकारी संस्थान में संतोषजनक खाद्यान्न आपूर्ति का पूर्व अनुभव होना चाहिए। इस हेतु संबंधित संस्थानों के कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करनी होगी।
9. निविदादाताओं को निम्न रूप से सत्यांकर राशि बैंक गारंटी के रूप में तकनीकी निविदा के साथ देना होगा।

कारा का नाम	खाद्यान्न एवं प्रमुख सामग्री	विविध एवं अन्य सामग्री/हरी सब्जी
केन्द्रीय कारा, बक्सर	50,000.00	15,000.00
महिला मंडल कारा, बक्सर	30,000.00	5,000.00
मुक्त कारागार, बक्सर	30,000.00	5,000.00

10. निविदादाताओं की तकनीकी निविदा अर्हता पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उनके वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. सफल निविदादाताओं को कारा की आवश्यकता अनुसार आदेशित मात्रा में सामग्रियों को सभी करों सहित कारा गोदाम तक पहुँचाना होगा।
12. आपूर्ति की जानेवाली सभी खाद्यान्न उत्तम गुणवत्ता के साथ बनावट रहित होनी चाहिए। सभी प्रकार के खाद्यान्नों, हरी सब्जी एवं विविध सामग्रियों की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति कारा भंडार तक पहुँचाने के सभी खर्च सहित होगा। कच्चे सामान यथा दतवन, हरी सब्जी, दुध, नींबू, मूर्गा का मांस, मछली, पनीर, ब्रेड, प्याज, फल इत्यादि की आपूर्ति ताजा एवं आवश्यकता तथा माँग के अनुरूप दैनिक आधार पर की जायेगी। इस हेतु एक दिन पूर्व निर्धारित मात्रा की जानकारी संबंधित कारा के लेखा प्रभारी से प्राप्त करने के उपरांत ही आपूर्ति करनी होगी। आवश्यकता से अधिक आपूर्ति मान्य नहीं होगी।
13. वित्तीय निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रत्येक कारा के लिए अलग-अलग (कारा के नाम के साथ) एवं निविदा के अलग-अलग खंडों (अर्थात् खंड "क", "ख", "ग", "घ") हेतु अलग-अलग निविदा रहेगी। आलू, प्याज, फल एवं हरी सब्जी के लिए वर्ष के चारों त्रैमासिक अवधि की निविदा अलग-अलग पन्नों में एक ही वित्तीय निविदा (खंड "ग") की लिफाफे में देनी होगी।
14. बैंक गारंटी या तकनीकी निविदा में निविदादाताओं द्वारा संलग्न कागजातों की भविष्य में आवश्यकतानुसार जाँच करायी जा सकती है एवं इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवारा पाए जाने पर संबंधित संवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कालीकृत किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
15. निविदा में अंकित खाद्यान्न यथा चावल, गेहूँ इत्यादि एवं विविध सामग्रियों की आपूर्ति सफल निविदादाताओं से तभी ली जायेगी जब इनकी आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य निगम, कारा निर्माणशालाओं, COMFED या अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा नहीं की जायेगी। साथ ही इस संबंध में समय-समय पर निर्गत होने वाले विभागीय आदेश के अनुपालन के पश्चात् ही निविदादाता से आपूर्ति ली जायेगी।
16. सफल निविदादाताओं को एकरारनामा करने के पूर्व आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों के वार्षिक अनुमानित मूल्य का 5% (पाँच प्रतिशत) सुरक्षित जमा राशि (सिक्यूरिटी डिपोजिट) बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा।
17. आपुरित सामग्रियों को वजन बोरा/बोरी का वजन घटाकर मान्य होगा।

18. महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना का पत्रांक 1206 दिनांक 06 मार्च 2014 के आलोक में दरों की अंतिम स्वीकृति जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।
19. आवंटन रहने पर नियमित आपूर्ति की स्थिति में समानुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा। आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं होने पर भी नियमित रूप से आपूर्ति जारी रखना होगा।
20. निविदा देकर मुकर जाने, समय पर आपूर्ति नहीं करने, घटिया किस्म की आपूर्ति करने की स्थिति में कारा के विधि व्यवस्था के हित में बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य स्रोतों से आपूर्ति ले ली जाएगी एवं अधिक व्यय की राशि संबंधित आपूर्तिकर्ता के लंबित विपत्र से काट ली जाएगी। साथ ही सत्यांकार राशि जप्त करने एवं कालीकृत (ब्लैक लिस्टेड) करने की कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विस्तृत जानकारी एवं निविदा सूचना की मूल प्रति हेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य दिवस को संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा बिहार राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

खण्ड "क"

केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर के लिए

दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.03.19 तक के लिए खाद्य सामग्रियों की सूची :-

1. मध्यम उसना चावल/kg
2. गेहूँ/kg
3. अरहर दाल/kg
4. चना दाल/kg
5. मसूर दाल/kg
6. चना/kg
7. गुड़ (पीली चक्की)/kg
8. चीनी/kg
9. चायपत्ती (गोल दाना)/kg
10. सरसों तेल (धारा ब्रांड) – निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर/kg
11. दुग्ध चूर्ण (अमूल्य, सागर, सुधा)/kg
(सुधा दूध अनुपलब्ध रहने एवं कम्फेड द्वारा उपलब्ध नहीं होने पर)
12. जलावन लकड़ी/kg
13. स्वस्थ मुर्गा का मांस (ड्रेस्ट चिकन साफ कर एवं चमड़ी रहित)/kg
14. ताजी एवं स्वस्थ मछली का मांस
(रिडु/कतला साफ कर एवं काटकर)/kg
15. कोयला (स्टीम ग्रेड-II)/kg
16. सुधा दूध/kg
17. भूना हुआ चना/kg
18. सोयाबीन बरी/kg
19. मटर/kg
20. चना का सतू/kg
21. अरवा चावल (खीर के लिए)/kg
22. अंकुरित अनाज (मुंग)/kg
23. अंकुरित अनाज (चना)/kg
24. ब्रेड (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर-4 पीस 100 ग्राम)/kg

खण्ड "ख"

विविध सामग्री :- (दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.03.19 तक के लिए)

केन्द्रीय कारा, बक्सर, मुक्त कारागार, बक्सर एवं महिला मंडल कारा, बक्सर के लिए

1.	दतवन (नीम अथवा बबूल का)	प्रति नग	41.	ब्रश-1 ईंच	प्रति नग
2.	हल्दी (खड़ा)	प्रति किलो	42.	पेंसिल ब्रश	प्रति नग
3.	मिर्चा (सुखा लाल)	"	43.	लाल पेन्ट	प्रति किलो
4.	धनियॉ	"	44.	एल्युमिनियम पेन्ट	"
5.	गोलकी	"	45.	नारंगी पेन्ट	"
6.	जीरा	"	46.	हरा पेन्ट	"
7.	अदरक (आदि)	"	47.	उजला पेन्ट	"
8.	लहसून	"	48.	काला पेन्ट	"
9.	गरम मसाला	"	49.	ब्लू पेन्ट	"
10.	नमक (टाटा - आयोडीन युक्त)	"	50.	पेन्ट ब्रश बड़ा-6 ईंच	प्रति नग
11.	साबुदाना	"	51.	रेडी का तेल	प्रति किलो
12.	सेवई	"	52.	कुश का चटाई	प्रति नग
13.	पीला सरसों (खड़ा)	"	53.	बॉस का टोकरी	"
14.	चना का बेसन	"	54.	टॉर्च बेट्री (एम्पेरेडी) (लीक फूफ)	"
15.	चुड़ा	"	55.	बिजली बल्ब (200 वॉट फिलीप्स)	"
16.	सूजी	"	56.	बिजली बल्ब (100 वॉट फिलीप्स)	"
17.	साबुत मूंग	"	57.	हैलोजन बल्ब (1000 वॉट फिलीप्स)	"
18.	नारियल झाड़ू	प्रति नग	58.	हैलोजन बल्ब (500 वॉट फिलीप्स)	"
19.	नारियल रस्सी	प्रति किलो	59.	फिलीप्स कंपनी का हैलोजन सेट (500 वॉट)	"
20.	चूना कली	"	60.	L.E.D. Vapor लाईट सेट 72 वॉट (बाजाज)	"
21.	रामरस मिट्टी	"	61.	L.E.D. Street लाईट सेट 50 वॉट (हेवेल्स)	"
22.	गेरू मिट्टी	"	62.	L.E.D. Street लाईट सेट 36 वॉट (हेवेल्स)	"
23.	लोहे का पतला तार	"	63.	बल्ब होल्डर	"
24.	बॉस का सूप	प्रति नग	64.	बिजली स्वीच	"
25.	सुतली	प्रति किलो	65.	बल्ब शेड (प्लास्टिक का)	"
26.	फिनाईल गोली (25 ग्राम)	प्रति नग	66.	बिजली कॉपर तार-3/20 (हेवेल्स)	"
27.	धुमना	"	67.	बिजली कॉपर तार-7/20 (हेवेल्स)	"
28.	फिनीट तेल	प्रति किलो	68.	बिजली तार-40/76 (हेवेल्स)	"
29.	फिनीट पम्प	प्रति नग	69.	बिजली कॉपर तार-4MM (हेवेल्स)	"
30.	बड़ा ड्रेन ब्रश	"	70.	बिजली कॉपर तार-2.5MM (हेवेल्स)	"
31.	मिट्टी का बड़ा घड़ा	"	71.	बिजली कॉपर तार-1.5MM (हेवेल्स)	"
32.	मिट्टी का घड़ा का ढक्कन	"	72.	सिलिंग पंखा का मोटर बाईंडिंग	"
33.	छाता (के0सी0पाल)	"	73.	सोडियम भेपर लैंप सेट 250 वॉट (बाजाज)	"
34.	माचिस का डब्बा (प्रति नग)	"	74.	सोडियम भेपर लैंप 250 वॉट (बाजाज)	"
35.	मजबूत लोहे के तार की जाली (16mm मोटा)	प्रति वर्ग फीट	75.	सोडियम भेपर लैंप सेट 250 वॉट (बाजाज) का चौक	"
36.	भीम पाउडर	प्रति किलो	76.	सबमरसेबुल मोटर 1 एच.पी. (पंखी सहित) क्राय्पटन कंपनी का।	"
37.	गेमेक्सीन पाउडर	प्रति किलो	79.	सबमरसेबुल मोटर का केवल वायर	प्रति मीटर
38.	ब्लीचींग पाउडर	"	80.	सबमरसेबुल मोटर का स्टार्टर 32 एंपीयर क्राय्पटन कंपनी का।	प्रति नग
39.	ब्रश-4 ईंच	प्रति नग	81.	बिजली चेंज ओवर 200 एंपीयर (हेवेल्स)	"
40.	ब्रश-2 ईंच	प्रति नग	82.	बिजली चेंज ओवर 64 एंपीयर (हेवेल्स)	"

83.	बिजली मेन स्वीच 200 एंपीयर (हिवेल्स)	प्रति नग	112.	लिंग ताला (75 नं०)-08 लीवर	प्रति नग
84.	स्टेपलर पिन	प्रति पैकेट	113.	लिंग ताला (65 नं०)-08 लीवर	"
85.	टैग	प्रति गुच्छा	114.	लिंग ताला (60 नं०)-08 लीवर	"
86.	टी आलपीन पैकेट	प्रति पैकेट	115.	लिंग ताला (55 नं०)-08 लीवर	"
87.	पलाई लीफ	प्रति नग	116.	लिंग पैड लॉक-06 लीवर	"
88.	लिफाफा 24/11 Cm	"	117.	खुरपी	"
89.	लिफाफा 9/24 Cm	"	118.	कुदाल	"
90.	गोंदा (700ml) कैमेल	"	119.	हसुआ	"
91.	सादा कागज	प्रति जिस्ता	120.	चापाकल हैण्डल	"
92.	कॉपी छोटा (1 जिस्ता)	"	121.	चापाकल हेड कभर	"
93.	कॉपी छोटा (2 जिस्ता)	"	122.	चापाकल का फिल्टर	प्रति नग
94.	कॉपी छोटा (3 जिस्ता)	"	123.	चापाकल का वॉसर	"
95.	कॉपी छोटा (4 जिस्ता)	"	124.	चापाकल प्लन्जर वॉसर	"
96.	कॉर्बन ब्लू (कोरस)	"	125.	चापाकल रड वॉसर	"
97.	स्टांप पैड (कैमेल)	प्रति नग	126.	चापाकल पिस्टन	"
98.	स्टांप पैड ईक (कैमेल)	प्रति नग	127.	चापाकल सॉकेट	"
99.	बॉल पेन (अग्नि जेल)	प्रति नग	128.	चापाकल नट बोल्ट 3"/4"	"
100.	फोटो कॉपी कागज (संचुरी A4 Size)	प्रति नग	129.	चापाकल जलेबी	"
101.	फोटो कॉपी कागज (संचुरी Legal)	"	130.	सवा ईच व्यास का टाटा कंपनी का लोहे का पाईप	प्रति नग
102.	ताड़ का पंखा	"	131.	गेहूँ पिसाई	प्रति किलो
103.	खाली टीन (15 किलो का)	"			
104.	खाली डब्बा (5 किलो का)	"			
105.	एसीड बोतल-एक ली०	"			
106.	नारियल तेल (पैराशुट)	प्रति किलो			
107.	लाईफबॉय साबुन (125gm)	प्रति नग			
108.	जानसन बेबी पाउडर (100 ग्राम)	"			
109.	सेनिटरी नैपकिन (महिला के लिए)	"			
110.	जानसन बेबी शोप	"			
111.	थीनर	प्रति लीटर			

(क्र०सं०-132 से 140 तक सिर्फ केन्द्रीय कारा, बक्सर निर्माणशाला उपयोग हेतु)

132.	सुहागा	प्रति किलो			
133.	खाली ड्राम (200ली०)	प्रति नग			
134.	सखुआ की लकड़ी	प्रति घन फीट			
135.	बबुल की लकड़ी	प्रति किलो			
136.	सखुआ का बोटा (7'x6"x6")	प्रति नग			
137.	शीशम का बोटा (7'x6"x6")	"			
138.	आम का बोटा (7'x14"x14")	"			
139.	कटहल का बोटा (7'x14"x14")	"			
140.	सागवान का बोटा (7'x14"x14")	"			

खण्ड "ग"

केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर के लिए

दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.06.19 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-

1.	कागजी नींबू (मध्यम आकार का प्रति नग)	2.	बैंगन	3.	करेला
4.	बोदी	5.	फुलगोभी	6.	बंधा गोभी
7.	लाल साग	8.	पालक साग	9.	कदीमा
10.	कद्दू	11.	मूली (पत्ता रहित)	12.	टमाटर
13.	नेनुआ	14.	कटहल	15.	परवल
16.	सेम	17.	भिंडी	18.	झिंगुनी
19.	ककड़ी	20.	प्याज	21.	सेव
22.	पका केला (प्रति दर्जन)	23.	संतरा	24.	आम
25.	तरबुजा	26.	खीरा	27.	आलू (आठ सूत से कम नहीं)
28.	लीची				

दिनांक 01.07.18 से दिनांक 30.09.19 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-

1.	कागजी नींबू (मध्यम आकार का प्रति नग)	2.	बैंगन	3.	करेला
4.	बोदी	5.	भिंडी	6.	झिंगुनी
7.	लाल साग	8.	पालक साग	9.	कदीमा
10.	कद्दू	11.	मूली (पत्ता रहित)	12.	परवल
13.	नेनुआ	14.	कन्दा	15.	कच्चा
16.	कटहल	17.	सेम	18.	आलू (आठ सूत से कम नहीं)
19.	प्याज	20.	कुन्दरी	21.	टमाटर
22.	सेव	23.	आम	24.	पका केला (प्रति दर्जन)
25.	संतरा	26.	ककड़ी	27.	खीरा
28.	तरबुजा	29.	लीची		

दिनांक 01.10.18 से दिनांक 31.12.19 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-

1.	कागजी नींबू (मध्यम आकार का प्रति नग)	2.	बैंगन	3.	करेला
4.	बोदी	5.	भिंडी	6.	झिंगुनी
7.	लाल साग	8.	पालक साग	9.	कदीमा
10.	कद्दू	11.	मूली (पत्ता रहित)	12.	परवल
13.	कुन्दरी	14.	टमाटर	15.	सेम
16.	ओल	17.	टमाटर	18.	प्याज
19.	सेव	20.	पका केला (प्रति दर्जन)	21.	संतरा
22.	खीरा	23.	गाजर	24.	अमरुद
25.	आलू (आठ सूत से कम नहीं)	26.		27.	

दिनांक 01.01.18 से दिनांक 31.03.19 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-


1.	कागजी नींबू (मध्यम आकार का प्रति नग)	2.	बैंगन	3.	करैला
4.	बोदी	5.	फुलगोभी	6.	बंघागोभी
7.	लाल साग	8.	पालक साग	9.	कदीमा
10.	कद्दू	11.	मूली (पत्ता रहित)	12.	आलू (आठ सूत से कम नहीं)
13.	प्याज	14.	नेनुआ	15.	झिग्गी
16.	सेम	17.	भिन्डी	18.	कटहल
19.	शलगम	20.	परवल	21.	टमाटर
22.	गाजर	23.	खीरा	24.	सेव
25.	पका केला (प्रति दर्जन)	26.	संतरा	27.	अमरूद

खण्ड "घ"

केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर के लिए

कारा से बिक्री हेतु निविदा :-

1.	पुराना लोहा प्रति किलो	2.	पुराना पेपर प्रति किलो	3.	कोयला चूर्ण प्रति किलो
4.	पुराना टीन प्रति किलो	5.	सरसों खल्ली (तेल पेराई की प्रक्रिया का अवशेष)	6.	चना का भूसी (सत्तु निर्माण की प्रक्रिया का अवशेष)
7.	पुराना अल्युमीनियम का बर्तन-प्रति किलो	8.	जूट का खाली बोरा-प्रति किलो		


 03.02.18
 अधीक्षक
 केन्द्रीय कारा, बक्सर
 3/2/18